- अनुसूचित जाति व जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति व जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 (क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति व जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (क्लिक करें)
- अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति (क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (क्लिक करें)
- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (क्लिक करें)
- पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 (क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति एवं जनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रम शिश्यावृत्ति (क्लिक करें)
- सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि योजना (क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुनर्वास हेतु राहन योजना (क्लिक करें)
- अंतर्जातीय विवाह योजना (क्लिक करें)

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr jkT; Nk=ofRr d{kk 1 l 5

;kstuk dk Lo:i &

कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krs &

कक्षा 1 से 5 तक की शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की प्रवेशित समस्त छात्राएं।

;kstuk d rgr n; ykHk &

प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं हेतु रू. 150 प्रति छात्रा प्रतिवर्ष

;kstuk gsr vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र

vkonu fdl iLrr djuk g &

संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 46410 छात्राओं को रू. 69.91 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr jkT; Nk=ofRr d{kk 6 l 10

;kstuk dk Lo:i &

कक्षा 6 से 10 तक के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krs &

कक्षा 6 से 10 तक की शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राओं को।

;kstuk d rgr n; ykHk &

माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए क्रमशः रू. 200/300 एवं हाईस्कूल स्तर में क्रमशः रू. 600/800 प्रति छात्र–छात्रा प्रतिवर्ष देय है।

;kstuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची।

आवेदन किसे प्रस्तुत करना है –

संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक / प्राचार्य

xr o"k@bl o"k dk y{; &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 61517 छात्र–छात्राओं को रू. 242.61 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉं क्लिक करें ।

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr dU;k lk{kjrk ikRlkgu ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

कक्षा 6 9 एवं 11वीं में अध्ययनरत अनु.जाति, जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए कन्या प्रोत्साहन योजना

ik=rk dh 'krs &

कक्षा 5, 8 एवं 10 में उत्तीर्ण होने पर नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्राओं को

;ktuk d rgr n; ykHk &

कक्षा 5, 8 एवं 10 में उत्तीर्ण होने पर कक्षा 6, 9 एवं 11 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्राओं को क्रमशः 500, 1000 एवं 3000 प्रति छात्रा कन्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची,

vkonu fdl iLrqr djuk g &

संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य को

xr o"k@bl o"k dk y{; &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 8840 छात्र–छात्राओं को रू. 71.38 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

vLoPN /kU/kk Nk=ofRr

;kstuk dk Lo:i &

अस्वच्छ धंधा में लगे पालकों के बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krsZ &

अस्वच्छ धंधें में संलग्न रहने का प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी, विकासखण्ड अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

कक्षा 1 से 10वीं तक अध्ययनरत अस्वच्छ धंधें में लगे पालकों के बालक बालिकाओं को रू. 1850 (रू. 750 तदर्थ अनुदान एवं रू. 1100 छात्रवृत्ति) प्रति छात्र–छात्रा प्रति वर्ष प्रदाय की जाती है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, स्वच्छ धंधा का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची,

vkosnu fdlls iLrqr djuk gS &

संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य को

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

881 छात्र–छात्राओं को रू. 16.30 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr ikLV efV'd Nk=ofRr

;k tuk dk Lo:i &

कक्षा 11 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक के Nk=&Nk=kvk d fy, छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krs &

कक्षा 11 से उच्च स्तर में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख हो को पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शुल्क रू. 1.00 लाख से ऊपर किंतु 1.20 लाख तक पूर्ण शुल्क राशि देय है (छात्रवृत्ति नहीं) एवं 1.20 से अधिक किंतु 3.00 लाख से कम आय होने पर 50 प्रतिशत शुल्क प्रतिपूर्ति।

;k tuk d rgr n; ykHk &

छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित दरे –

xqi	dkslZ	ifrekg fu/kkZfjr njs	
		Nk=kokl h	xSj Nk=kokl h
A-I	इंजीनियरिंग/मेडिकल एग्रीकल्चर एवं अन्य	1500 रू 740 रू.	330 रू.
B & C - II	स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम	510 रू.	330 रू.
D – III	स्नातक पाठ्यक्रम	355 रू.	185 रू.
E-IV	11वीं एवं 12वीं	235 रू.	140 रू.

;k tuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची, आय प्रमाण पत्र।

vkosnu fdlds iLrqr djuk gS &

संबंधित विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 8728 छात्र–छात्राओं को रू. 203.13 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

fiNMk oxl ikLV efV'd Nk=ofRr

;ktuk dk Lo:i &

पिछड़ावर्ग के कक्षा 11 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक के Nk=&Nk=kvk d fy, छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krs &

कक्षा 11 से उच्च स्तर में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 0.75 लाख से कम हो।

;ktuk d rgr n; ykHk &

छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित दरे –

xqi	dkl	ifrekg fu/kkfjr nj			
		Nk=kokl h		xj Nk=kokl h	
		ckyd	ckfydk	ckyd	ckfydk
A-I	इंजीनियरिंग / मेडिकल	रू. 425	रू. 425	रू. 190	रू. 190
B & C - II	स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम	रू. 125	रू. 125	रू. 190	रू. 190
D – III	स्तातक पाठ्यक्रम	रू. 115	रू. 130	रू. 70	रू. 85
E-IV	11वीं एवं 12वीं	रू. 100	रू. 110	रू. 55	रू. 70

;ktuk grq vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति / मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची, आय प्रमाण पत्र।

vkonu fdl iLrr djuk g &

संबंधित विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य

xr o"k@bl o"k dk y{; &

पिछड़ा वर्ग की 7169 छात्र–छात्राओं को रू. 191.00 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

fiNMk oxZ jkT; Nk=ofRr d{kk 6 ls 10

;kstuk dk Lo:i &

पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के Nk=&Nk=kvksa ds fy, छात्रवृत्ति

ik=rk dh 'krsZ &

कक्षा 6 से 10 तक की शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग के प्रवेशित समस्त छात्र–छात्राओं को।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए क्रमशः रू. 200/300 एवं हाईस्कूल स्तर में क्रमशः रू. 300/400 प्रति छात्र–छात्रा प्रतिवर्ष देय है।

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची।

vkosnu fdlls izLrqr djuk gS &

संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक / प्राचार्य

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

पिछड़ा वर्ग की 60436 छात्र–छात्राओं को रू. 167.56 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tutkfr Nk=kokl@vkJe f'k";ofRr

;kstuk dk Lo:i &

निःशुल्क आवास एवं निवास व्यवस्था

ik=rk dh 'krs &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग छात्र–छात्राओं के विगत परीक्षाफल के प्रवीण्ता के आधार पर

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

छात्र हेतु रू. 500 एवं छात्राओं हेतु रू. 525 प्रतिमाह की सीमा के अंदर छात्रावास में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था तथा आश्रम में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनाजति वर्ग के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन व्यवस्था एवं शैक्षणिक व्यवस्था दी जाती है

;kstuk grq vkosnu dk rjhdk ,o vko';d nLrkost &

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची

vkosnu fdls iLrqr djuk gS &

संबंधित छात्रावास/आश्रम अधीक्षक

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 2726 छात्र–छात्राओं को रू. 132.75 लाख से लाभांवित किया गया

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

flfoy lok ijh{kk mRrh.kl djuk ij ikRlkgu jkf'k ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

अनु.जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी जिन्होंने सिविल सेवा की प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण की हो (तीनों चरणों में अलग–अलग)।

ik=rk dh 'krs &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय सीमा रू. 1.00 से अधिक या अभ्यार्थी किसी शासकीय सेवा में कार्यरत न हो एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी के पालक की वार्षिक आय रू. 75000 से अधिक न हो

;ktuk d rgr ns; ykHk &

vu-tkfr ,o tutkfr oxZ & संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 40000 मुख्य परीक्षा में रू. 60000 चयन होने पर रू. 50000 एवं म.प्र.लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 20000, मुख्य परीक्षा में रू. 30000, चयन होने पर रू. 25000,

fiNMk oxZ d & संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 30000 मुख्य परीक्षा में रू. 40000 चयन होने पर रू. 30000 एवं म.प्र.लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 15000, मुख्य परीक्षा में रू. 20000, चयन होने पर रू. 15000, प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है

;ktuk gr vkonu dk rjhdk ,o vko';d nLrkot &

निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जाति, निवास, आय, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

vkonu fdl iLrr djuk g &

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) में

xr o"k@bl o"k dk y{; &

अनु.जाति वर्ग के 9 अभ्यार्थियों कों रू. 2.90 लाख एवं पिछड़ा वर्ग के 4 अभ्यार्थियों को रू. 60,000 प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

vulfpr tkfr ,o tutkfr iuokl grq jkgr ;ktuk

;ktuk dk Lo:i &

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए सहायता

ik=rk dh 'krs &

गैर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग/समुदाय/व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग समुदाय/व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने पर

;ktuk ds rgr ns; ykHk &

राहत एवं सहायता :–

Ø-	vijk/k dk idkj	jkgr
1	हत्या / मृत्यु	
(क)	परिवार का न कमाने वाला सदस्य	रू. 1.00 लाख नियमानुसार
(ख)	परिवार का कमाने वाला सदस्य	रू. 2.00 लाख नियमानुसार
2.	(क) बलात्कार	रू. 0.50 लाख नियमानुसार
	(ख) बलात्कार के कारण मृत्यु	रू. 1.00 लाख नियमानुसार
3.	नियोग्यता एवं अक्षमता	
(क)	100 से कम असमर्थता	
	(1) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	रू. 1.00 लाख नियमानुसार
	(2) परिवार का कमाने वाला सदस्य	रू. 2.00 लाख नियमानुसार
(ख)	100 प्रतिशत से कम असमर्थता	रू. 0.15 से 0.30 लाख तक
4.	अपमान/अभित्रास	रू. 0.25 लाख नियमानुसार
5.	बेगार या बलात श्रम या बंधुआ मजदूरी	रू. 0.25 लाख नियमानुसार
6.	रास्ता रोकना (मार्ग के रूढ़ि जन्म के अधिकार से वंचित करना)	रू. 1.00 लाख तक या मार्ग अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत नियमतः
7.	पानी गंदा करना	रू. 1.00 लाख तक पानी साफ करने सहित अन्य सुविधा बहाली नियमानुसार
8.	निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	स्थल बहाल करना, सरकारी व्यय पर मकान पुनः निर्माण रू. 0.25 लाख तक नियमानुसार
9.	अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीना खाना	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रू. 0.25 लाख तक नियमानुसार
10.	क्षति पहुंचाना–अपमानित या क्षुब्ध करना	नियमानुसार
11.	अनादर सूचक कार्य	नियमानुसार
12.	मतदान के अधिकार से वंचित	रू. 0.20 लाख जो अपराध के स्वरूप एवं गंभीरता पर निर्भर है।
13.	मिथ्या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही तथा तुच्छ जानकारी	रू. 0.25 लाख नियमानुसार
14.	मिथ्या साक्ष्य देना	उठाये गये हानि का पूरा प्रतिकार रू. 1.00 लाख तक नियमानुसार
15.	लोक सेवा के हाथों उत्पीडन	उठाई गई हानी का नुकसान
16.	भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक कारावार	रू. 0.50 लाख नियमानुसार
17.	रोजगार से संबंधित साधन/औजार मशीन आदि नष्ट किया जाना	टूट–फूट की मरम्मत या साधन उपलब्ध कराया जावेगा।

योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं आवश्यक दस्तावेज –

पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक आ.जा.क.थाना, जाति प्रमाण पत्र

आवेदन किसे प्रस्तुत करना है –

पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक आ.जा.क.थाना के द्वारा कलेक्टर (आदिवासी विकास) को

गत वर्ष/इस वर्ष का लक्ष्य –

अनु.जाति वर्ग के 49 पीडितों को रू. 6.87 लाख एवं अनु.जनजाति वर्ग के 45 पीड़ितों को रू. 8.62 लाख राहत राशि प्रदाय की गई।

vUrtkrh; fookg ;kstuk

;kstuk dk Lo:i &

सवर्ण वर्ग के युवक/युवती द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवती/युवक से विवाह करने पर

ik=rk dh 'krsZ &

सवर्ण वर्ग के युवक/युवती द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवती/युवक से विवाह करने पर आवेदक द्वारा दंपत्ति विवाह, उम्र, जाति, निवास का प्रमाण पत्र

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

रू. 50000 एवं प्रशंसा पत्र

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost &

निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विवाह, उम्र, जाति, निवास का प्रमाण पत्र

vkosnu fdlls iLrqr djuk gS &

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) में

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

2 दंपत्तियों को रू. 1.00 लाख

[आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।]